

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज  ग्राम..... <u>दारापड</u> ..... मु.नं. <u>२५५/२१</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक की तामील मेंजारी हुए
	<p><u>१०-१०-२५</u> पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी शायद कार्प डेब्ट हाईकोर्ट जयपुर पदारे जिससे न्यायिक कार्प नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वनुसार दिनांक १५.११.२५ को पेश हो। (क्ष)</p> <p><u>१५.११.२५</u> पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी कार्यवाही पर होने के कारण न्यायिक कार्प नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वनुसार दिनांक १७.१२.२५ को पेश हो। (क्ष)</p> <p><u>१७-१२-२५</u> पत्रावली पेश हुई। अग्निभाषको द्वारा कार्प स्वगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्प नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वनुसार दिनांक १६.१.२५ को पेश हो। (क्ष)</p> <p><u>१६.१.२५</u> पत्रावली पेश हुई। अग्निभाषको द्वारा न्यायिक कार्प स्वगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्प नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वनुसार दिनांक ११.२.२५ को पेश हो। (क्ष)</p> <p><u>११.२.२५</u> पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान को बाद २२ आगक प्लिवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली लम्बे समय से साक्ष्यवादी में लंबित है। वादों को बार २२ सिद्धेशों के वाक्यवाद खापी द्वारा साक्ष्यवाद पेश नहीं किये जा रहे हैं एवं सिद्धेशों की अवहेलना की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि पत्रकारान पत्रावली में सिद्धेशों को कार्यवाही के लिए बच्युक्त नहीं है। इसलिए पत्रावली पत्रकारान की अन्त हाजरी व अन्त पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैलल शुमार होकर साक्ष्यवाद स्पष्ट हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 मण्डावर (दौसा)